



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8203 सन् 2026

प्रकाश चन्द्रआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रतिवादीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: अविनाश पाण्डेय, राम नरेश

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह आवेदन धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-3, फतेहपुर द्वारा पारित दिनांक 08.12.2025 के समन आदेश तथा शिकायत वाद संख्या 4445 सन् 2025 (विकास पटेल बनाम प्रकाश चन्द्र), जो कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना- कोतवाली फतेहपुर, जनपद फतेहपुर के अंतर्गत उत्पन्न है तथा माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-3, फतेहपुर के न्यायालय में लंबित है, की आगे की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पक्षकारों के बीच धन संबंधी विवाद है और प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत एक शिकायत दाखिल की गई है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि धन के भुगतान को लेकर कुछ विवाद है, अतः विवाद के सौहार्दपूर्ण निस्तारण की संभावना सुलह-समझौते के माध्यम से बनती है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., जो कि 2010 (5) एससीसी 663 में प्रतिवेदित है, के निर्णय पर भरोसा किया गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 17, 18 एवं 19 निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टीका (commentary) में धारा 138 अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं [उद्धृत स्रोत: अरुण मोहन, धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के विषय पर विधि सुधार की दिशा में कुछ विचार—मामलों की अत्यधिक वृद्धि से निपटना (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि., 2009) पृष्ठ 5 पर]:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"... अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) दंड देना प्रतिशोध प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि अधिकतर धन की वसूली सुनिश्चित करने का माध्यम है। शिकायतकर्ता का मुख्य हित दंडादेश प्राप्त करने में नहीं, बल्कि चेक जारीकर्ता से धन की वसूली में होता है। कारावास की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक उपाय है। जहाँ तक अभियुक्त का प्रश्न है, यदि वह कारावास की सजा भुगतने को तैयार है, तो चेक धारक के पास उसके विरुद्ध उपलब्ध उपचार सीमित रह जाता है।

यदि हम उन शिकायतों की संख्या का परीक्षण करें जो अंतिम निर्णय से पूर्व 'समझौता' या 'निस्तारण' के माध्यम से सुलझा ली गईं, और दूसरी ओर उन मामलों की जो निर्णय एवं दोषसिद्धि तक पहुँचीं, तो यह पाया जाएगा कि अधिकांश मामले समझौते से निपट गए तथा केवल अत्यल्प संख्या ही निर्णय तक जारी रही।

18. यह स्पष्ट है कि चेक के अनादर के अपराध के संबंध में उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माननीय महान्यायवादी द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका को भी कुछ हद तक समर्थन मिलता है कि चेक अनादर से संबंधित अधिकांश मामले वास्तव में संमिश्रण (कंपाउंडिंग) के माध्यम से समझौते या निस्तारण द्वारा समाप्त हो जाते हैं, यद्यपि यह प्रायः वाद के अंतिम चरणों में होता है, जिससे न्याय प्रदान करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न होता है। यहाँ समस्या यह है कि पक्षकारों में विवाद के समाधान हेतु संमिश्रण को विलंब से अपनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

19. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी का निवेदन यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में पक्षकार संमिश्रण (कंपाउंडिंग) को अंतिम उपाय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के रूप में चुन रहे हैं, जबकि उन्हें यह विकल्प शिकायतों पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने के तुरंत बाद ही अपना लेना चाहिए। इस प्रकार के आचरण का एक कारण यह हो सकता है कि अभियुक्तगण यह जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं कि वे वाद की विभिन्न अवस्थाओं से आगे बढ़ें और केवल तब समझौते का मार्ग अपनाएँ जब अन्य कोई विकल्प शेष न रहे। यद्यपि ऐसे व्यवहार को वादकारियों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, किन्तु वास्तविक तथ्य यह हैं कि संमिश्रण को विलंब से अपनाने की प्रवृत्ति न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों के बोझ को बढ़ाती है। यदि अभियुक्त वाद की बाद की अवस्था में संमिश्रण के माध्यम से निस्तारण या समझौते के लिए तैयार होता है, तो यह सामान्यतः शिकायतकर्ता के मामले में कुछ सार होने का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार प्रारंभिक चरण में ही संमिश्रण का मार्ग अपनाएँ। किंतु यदि अभियुक्त के पास कोई वैध प्रतिरक्षा, जैसे कि भूल, जालसाजी या बलपूर्वक कराया जाना आदि कारण हों, तो ऐसे मामलों का निस्तारण निर्धारित मंचों के माध्यम से विधि अनुसार किया जा सकता है।

5. विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त आज से एक माह की अवधि के भीतर अपने प्रतिनिधि अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो तथा समझौते के माध्यम से अपराध के संमिश्रण (कंपाउंडिंग) हेतु आवेदन प्रस्तुत करे एवं चेक राशि का 10% जमा करे। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगा तथा अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने हेतु आगे अवसर प्रदान करेगा, जो आज से अधिकतम चार माह से अधिक नहीं होगा। तत्पश्चात न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(उपर्युक्त) के वाद में प्रतिपादित विधि को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आज से पाँच माह के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के संमिश्रण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर विचारण का सामना करना होगा तथा न्यायालय विधि के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विधि द्वारा अनुमन्य सभी आवश्यक कदम एवं उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त पाँच माह की अवधि के दौरान अथवा आवेदन के निस्तारण पर दिए जाने वाले निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उन अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है, जिनकी ओर से इस न्यायालय में धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

दिनांक : 26 मार्च, 2026

नितिन वर्मा

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।